

कार्यालय जिलाधिकारी

जनपद-चन्दौली

पत्रांक - 1211/सात - 20092030/2019

दिनांक - 13/12/2019

विषय :- जनपद चन्दौली के अन्तर्गत नौगढ़ से बांध सम्पर्क मार्ग किमी० 0.00 से 12.000 किमी० तक प्रभावित 9.90 हे० आरक्षित वन भूमि, नौगढ़ से चकरघट्टा सम्पर्क मार्ग 0.000 किमी० से 7.500 किमी० तक प्रभावित 6.750 हे० आरक्षित वन भूमि नौगढ़-धनकुवारी कला केसर सम्पर्क मार्ग 0.00 किमी० से 22.800 किमी० तक प्रभावित 19.62 हे० आरक्षित वन भूमि कुल 36.27 हे० प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग,
रामनगर, वाराणसी।

अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (प्र०प०), लो०नि०वि०, चन्दौली के कमरा: पत्रांक 295./1सी/19 दि० 12.07.2019, 296./1सी/19 दि० 12.07.2019 व 297./1सी/19 दि० 12.07.2019 द्वारा विषयक मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृणीकरण से प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि चिन्हित कर वन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी नौगढ़, जनपद चन्दौली के पत्रांक 109/एस०टी०/2019 दिनांक 13.12.2019 द्वारा मार्गों के निर्माण में ली जाने वाली वन भूमि के बदले निम्नानुसार समतुल्य गैर वन भूमि चिन्हित कर वन विभाग को देने हेतु प्रस्तावित की गयी है। साथ ही उद्धरण खतौनी, मानचित्र व भू०प्र०सं० के प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की गयी है जो संलग्न कर प्रेषित है।

1.नौगढ़-धनकुवारीकला से केसर सम्पर्क मार्ग 0.00 किमी० से 22.80 किमी० तक प्रभावित आरक्षित वनभूमि 19.62 हे० के सापेक्ष प्रस्तावित समतुल्य गैर वन भूमि का विवरण -

क०न०	प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	गाटा सं०	कुल रकबा (हे०मै०)	प्रस्तावित रकबा (हे०मै०)	भूमि का प्रकार	विशेष विवरण (चकबन्दी से पूर्व का गाटा नं०)
1	हरियाबाँध	111मि	15.833	15.396	जंगल-झाँडी	40
2	हरियाबाँध	118मि	2.225	2.000	जंगल-झाँडी	43
3	टिकुरिया	6	0.844	0.844	नवीन परती	5मि, 5/1मि, 6मि
4	टिकुरिया	16	0.495	0.495	जंगल-झाँडी	4मि०, 131/1/2, 131/1/3, 131/1/4
5	टिकुरिया	51	0.316	0.316	जंगल-झाँडी	42/4
6	टिकुरिया	60	0.569	0.569	जंगल-झाँडी	50/1
योग -			20.282	19.62		

✓ नौगढ़ से बांध सम्पर्क मार्ग 0.00 किमी० से 12.00 किमी० तक प्रभावित आरक्षित वनभूमि 9.90 हे० के सापेक्ष प्रस्तावित समतुल्य गैर वन भूमि का विवरण -

क०न०	प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	गाटा सं०	कुल रकबा (हे०मै०)	प्रस्तावित रकबा (हे०मै०)	भूमि का प्रकार	विशेष विवरण (चकबन्दी से पूर्व का गाटा नं०)
1	टिकुरिया	198	0.499	0.499	जंगल-झाँडी	128
2	टिकुरिया	197घ	8.800	8.094	जंगल-झाँडी	137/5/1
3	टिकुरिया	234ग	3.443	3.307	जंगल-झाँडी	137/1/1ए, 137/6मि, 136 मि
योग -			12.742	9.90		

3.नौगढ़ से चकरघट्टा सम्पर्क मार्ग 0.00 किमी० से 7.50 किमी० तक प्रभावित आरक्षित वनभूमि 6.75 हे० के सापेक्ष प्रस्तावित समतुल्य गैर वन भूमि का विवरण-

क०न०	प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	गाटा सं०	कुल रकबा (हे०मै०)	प्रस्तावित रकबा (हे०मै०)	भूमि का प्रकार	विशेष विवरण (चकबन्दी से पूर्व का गाटा नं०)
1	लेडहा	1/2	0.787	0.787	बंजर	चकबन्दी की कार्यवाही नहीं हुई है।
2	लेडहा	2/2	1.835	1.835	बंजर	
3	लेडहा	18/1	2.984	2.854	बंजर	
4	टिकुरिया	200	1.176	1.176	जंगल-झाँडी	130
5	टिकुरिया	230	0.298	0.298	जंगल-झाँडी	137/5/1
योग -			6.88	6.75		

कृपया मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही शीघ्रता पूर्वक कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

जिलाधिकारी
चन्दौली

प्रतिलिपि:-

- अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड(प्र०प०), लो०नि०वि०, चन्दौली को इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर, वाराणसी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- उपजिलाधिकारी नौगढ़, जनपद चन्दौली को सूचनार्थ प्रेषित।

08/12
(मिथिलेश कुमार)
अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (प्र०प०)
लोक निर्माण विभाग चन्दौली

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर वाराणसी

जिलाधिकारी
चन्दौली

विषय:-जनपद चन्दौली में अस्थाई खण्ड (प्रधानमंत्री परियोजना), लोक निर्माण विभाग, चन्दौली (उ०प्र०), द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अन्तर्गत "नौगढ़-बान्ध सम्पर्क मार्ग" कि.मी. 0.000 से 12.000 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 9.90 हेक्टे० वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

उ० प्र० शासन के पत्रांक VIP-23/14-2-2019-190G/2018 Dt. 28.06.2019 सम्बन्धी
प्रमाण-पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जनपद चन्दौली तहसील नौगढ़ परगना केरामगरौर के ग्राम टिकुरिया के निम्नानुसार खसरा सं० अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी कुल 9.90 हेक्टे० भूमि निर्विवाद रूप से गैर वनभूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या-वी०आई०पी०-23/14-2-2019-190जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।"

नौगढ़ से बांध सम्पर्क मार्ग 0.00 किमी० से 12.00 किमी० तक प्रभावित आरक्षित वनभूमि 9.90 हे० के सापेक्ष प्रस्तावित गैर वन भूमि का विवरण -

क्र०सं०	प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	गाटा सं०	प्रस्तावित रकबा (हे०में०)	भूमि का प्रकार	विशेष विवरण (चकबन्दी से पूर्व का गाटा नं०)
1	टिकुरिया	198	0.499	जंगल-झोंडी	128
2	टिकुरिया	197घ	6.094	जंगल-झोंडी	137/5/1
3	टिकुरिया	234ग	3.307	जंगल-झोंडी	137/1/1ए, 137/6मि, 136 मि
योग -			9.90		



क्षेत्रीय वन अधिकारी
मझगाँव

(*Signature*)
सेक्टर



उप प्रभागीय वन अधिकारी
नौगढ़
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर, वाराणसी

(*Signature*)
आशुतोष जायसवाल
प्रभागीय वन अधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर वाराणसी